

(भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 14013/04/2016-अ.भा.से.।।।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 21 फरवरी 2017

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के 2005 बैच के सदस्य श्री धनंजय देवांगन को दिनांक 28.09.2013 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।



(राजेश कुमार यादव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद, (हरियाणा).